



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 03.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना ईसानगर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना ईसानगर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCISO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सिंगाही पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCsO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना नीमगांव पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 03.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना नीमगांव पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, हत्या के प्रयास में 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/127(1) बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त विराज सिंह उर्फ सर्वराज सिंह पुत्र युवराज सिंह उर्फ गोल्डी निवासी ग्राम मझीला थाना मझीला जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विराज सिंह उर्फ सर्वराज सिंह पुत्र युवराज सिंह उर्फ गोल्डी निवासी ग्राम मझीला थाना मझीला जनपद हरदोई

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 संजीत तिवारी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
- 2.हे0का0 अशोक तिवारी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
- 3.का0 नीरज कुमार थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धौरहरा के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़ के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 641/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त विनोद पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम गोड्डापुरवा मजरा बड़ागाँव थाना शारदानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विनोद पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम गोड्डापुरवा मजरा बड़ागाँव थाना शारदानगर जनपद खीरी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार शर्मा, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 2.का0 सचिन कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 3.का0 लाखन सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

थाना मझगई पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष मझगई के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना मझगई पुलिस द्वारा, वाद संख्या 1196/24 धारा 128 द0प्र0सं0 में वारण्टी अभियुक्त दुर्योधन उर्फ दुर्गेश सिंह पुत्र विक्रमजीत निवासी ग्राम धर्मापुर थाना मझगई जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

दुर्योधन उर्फ दुर्गेश सिंह पुत्र विक्रमजीत निवासी ग्राम धर्मापुर थाना मझगई जनपद खीरी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 गौरव सिंह थाना मझगई जनपद खीरी
- 2.का0 रवि गंगवार थाना मझगई जनपद खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 01 नफर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष भीरा के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 322/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस में वाँछित 01 नफर वाँछित अभियुक्त शिवम उर्फ झब्बू पुत्र कौशल किशोर निवासी ग्राम लाल्हापुर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवम उर्फ झब्बू पुत्र कौशल किशोर निवासी ग्राम लाल्हापुर थाना गोला जनपद खीरी

मुकदमा विवरण:-

मु0अ0सं0 322/2025 धारा 309(6)/317(2) BNS थाना भीरा जनपद खीरी

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 322/2025 धारा 309(6)/317(2) BNS थाना भीरा जनपद खीरी
2. मु0अ0सं0 706/2022 धारा 379/411 IPC थाना गोला जनपद खीरी
3. मु0अ0सं0 465/2023 धारा 380/411/454 IPC थाना गोला जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुशील तिवारी थाना भीरा जनपद खीरी
2. हे0का0 हेमन्त कुमार सिंह थाना भीरा जनपद खीरी

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम सिसोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दुर्गेश यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम सिसोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 महेन्द्र सिंह यादव थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
- 2.का0 अनूप कुमार थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
- 3.का- बृजेश गौतम थाना मोहम्मदी जनपद खीरी